खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री कमालुद्दीन बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री कमालुद्दीन उपस्थित।

20.08.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि
प्रशाखा पदाधिकारी श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्री कमालुद्दीन, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति कुशेश्वर स्थान पूर्वी, दरभंगा के द्वारा दायर किया गया है। यह अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निर्धारित प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–3001/खाद्य, पटना दिनांक–21.06.2024 में पारित आदेश जिसके तहत अपीलार्थी श्री कमालुद्दीन, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री कमालुद्दीन की 02 (दो) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है, को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी गई है एवं उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्य एवं अन्य संलग्न कागजात के अवलोकन से संक्षेप में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है – श्री कमालुद्दीन, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान के पद पर जब कार्यरत थे तब उनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा पत्रांक–51 दिनांक–12.01.2022 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान के गोदाम के सील नहीं किये जाने, भंडार–पंजी पर निरीक्षण तिथि को कोई टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने, भंडार–पंजी को जब्त नहीं किये जाने तथा गोदाम कब सील नहीं करने का कारण आक्रमक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होना बताया गया, जिसका जिक्र दर्ज प्राथमिकी में नहीं किये जाने संबंधित प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके संबंध में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभाग ने अपीलार्थी को कारणपृच्छा/बचाव बयान का अवसर प्रदान करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–361 दिनांक–20.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया एवं तदनुसार प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। विभाग के द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–1559, दिनांक–11.04.2023 द्वारा श्री कमालुद्दीन से द्वितीय कारणपृच्छा/बचाव बयान की माँग की गई, जिसके आलोक में श्री कमालुद्दीन के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब एवं बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को निराधार एवं तथ्य से परे बताया। श्री कमालुद्दीन के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा में कहा गया है कि जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण एवं दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन के क्रम में विक्रेता द्वारा बुलायी गई भीड़ के आक्रमक होने के कारण दुकान को सील नहीं किया जा सका एवं इसकी सूचना उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को तत्क्षण दी गई थी। परन्तु विभाग के द्वारा श्री कमालुद्दीन के उक्त बचाव को

स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया एवं उसे अस्वीकृत करते हुए दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

अपीलार्थी श्री कमालुद्दीन के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपने बचाव बयान में इनके उपर विभाग के द्वारा लिये गये सभी आरोप यथा–

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता के गोदाम को सील नहीं किये जाने,
2. भंडार–पंजी पर निरीक्षण तिथि को कोई टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने,
3. भंडार–पंजी को जब्त नहीं किये जाने तथा
4. गोदाम सील नहीं करने का कारण अक्रामक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होने संबंधी तथ्य प्राथमिकी में अंकित नहीं किये जाने।

को बिन्दुवार खारिज किया गया है एवं इनका कहना है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को तत्क्षण ही दे दी गई थी, इसी प्रकार उनके द्वारा दिनांक–16.07.2018 को आन्दर थाना एफ0आई0आर0 नं0–135/18 दिनांक–16.07.2018 (7 E.C.Act) दर्ज कराया गया एवं आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। इसी प्रकार इनका कहना है कि इनके द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सिवान को सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान के निर्देशन में ही सम्पूर्ण कार्रवाई किया गया। जहाँ तक गोदाम सील करने, पंजी जब्त करने, पंजी पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं करने अथवा अक्रामक भीड़ से संबंधित तथ्य को प्राथमिकी में अंकित करने का प्रश्न है, तो इसके संबंध में तत्कालीन वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सिवान के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया, जिस कारण उक्त का अनुपालन नहीं किया जा सका। इनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम–20(iii) एवं 26 में निहित प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अपीलार्थी का अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर कारणपृच्छा/बचाव बयान, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य, विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3001/खाद्य, पटना दिनांक–21.06.2024 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा आन्दर थाना, सिवान में उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कांड संख्या–135/18 दिनांक–16.07. 2018, 7 ई0सी0 एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा तत्क्षण आरोपितों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान को भी इसकी सूचना ससमय दी गयी है। अतएव अपीलार्थी के विरूद्ध दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

फलतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3001/खाद्य, पटना दिनांक–21.06.2024 के द्वारा अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त (set aside) किया जाता है। फलतः प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand किया जाता है, जो अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करें। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(लेशी सिंह)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सिवान)–01/2022– 2180 खाद्य, पटना/दिनांक– 01.09.2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, सिवान/दरभंगा/उप निदेशक (खाद्य), सारण प्रमंडल, छपरा–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री कमालुद्दीन, आपूर्ति निरीक्षक, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(सिवान)–01/2022– 2180 खाद्य, पटना/दिनांक– 01.09.2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।